न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 19/19 **सन् 2019**

RCMS NO-2019/00156

बउनवानीः—जसकरण पुत्र जयनारायण मीना निवासी बहनोली तह0 बौंली जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. देवकरण पुत्र जयनारायण मीना निवासी बहनोली तह0 बौंली जिला सवाईमाधोपुर
2. लखपत पुत्र गोकर्ण मीना निवासी बहनोली तह0 बौंली जिला सवाईमाधोपुर
3. बच्चू सिंह पुत्र गोकर्ण मीना निवासी बहनोली तह0 बौंली जिला सवाईमाधोपुर
4. पुखराज पुत्र गोकर्ण मीना निवासी बहनोली तह0 बौंली जिला सवाईमाधोपुर
5. कमली पत्नि गोकर्ण मीना निवासी बहनोली तह0 बौंली जिला सवाईमाधोपुर
6. सरकार जरिये तहसीलदार बौंली

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बौंली द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 140 निर्णय दिनांक 17.6.2015 वाके ग्राम बहनोली, तहसील बौंली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री मुकेश बंसल वकील अपीलान्ट

2. श्री राधेश्याम योगी, वकील रेस्पो

—: निर्णय :— **दिनांक 11.3.2020**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार बौंली द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 140 निर्णय दिनांक 17.6.2015 वाके ग्राम बहनोली तहसील बौंली के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि खाता संख्या नया 215 जिसके ख0न0 14 रकबा 0.24, ख0न0 51 रकबा 0.45 है0, ख0न0 52 रकबा 0.1000 है0 ख0न0 380 रकबा 0.1000है, ख0न0 533 रकबा 0.1100 है0, ख0न0 538 रकबा 0.1700, ख0न0 691 रकबा 0.1400 है0, ख0न0 703 रकबा 0.1300 है0, ख0न0 916 रकबा 0.2100है0, ख0न0 968 रकबा 0.06 है0, ख0न0 1305 रकबा 0.3400 है0, ख0न0 1311 रकबा 0.2800 है0, ख0न0 1541 करबा 0.01है0, ख0न0 1542 रकबा 0.05 है0, ख0न0 1543 रकबा 0.38 है, ख0न0 15590 रकबा 0.49 है0, ख0न0 1552 रकबा 0.09 कुल किता 17 कुल रकबा 3.35 है0 एवं खाता संख्या 234 के ख0न0 226 रकबा 0.71 है0, ख0न0 951 रकबा 0.32, ख0न0 971 रकबा 0.05है0, ख0न0 1271 रकबा 0.35 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.43 है0 वाके ग्राम बहनोली तहसील बौंली मे स्थित है। उक्त आराजीयात में अपीलान्ट एवं रेस्पो. का बराबर 1/3 हिस्सा है किन्तु बटवारे के नामा0 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भरा गया है उसमे अपीलान्ट को 0.99 है0 रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में 1.22 है0 तथा रेस्पो. संख्या 2 लगायत 5 के हिस्से मे 1.13 है0 एवं 0.40 है0 (कुल 1.53 है0) भूमि दी जाकर नामा0 दर्ज फैसल किया गया है जो नियम विरूद्व है। उक्त नामा0 दर्ज फैसल करने से पूर्व अपीलान्ट से कोई जानकारी नही ली गयी है, जबकि ख0न0 14 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम बहनोली तहसील बौंली पर अपीलान्ट का कब्जा था ओर आज भी अपीलान्ट का ही कब्जा है किन्तु उक्त ख0न0 का नामा0 रेस्पो0 1 लगायत 5 के पक्ष मे खोल दिया है इस प्रकार आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व कब्जे की जॉच नही की गयी है एवं अपीलान्ट एवं रेस्पो. की पैत्रक भूमि मे से तीनो भाईयो मे बराबर—बराबर हिस्सा नही दिया जबकि उक्त बटवारे मे तीनो भाईयों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए था। अपीलान्ट का ख0न0 14 पर कब्जा था जिसको

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अपीलान्ट को न देकर रेस्पो. को दे दिया है जिस पर आज भी विवाद चल रहा है। उक्त संबंध मे रेस्पो. ने पंचो मे लिखकर दिया था कि मै जमीन छोड दूंगा,लेकिन वह झगडा करता है। इस प्रकार रेस्पो. संख्या 6 द्वारा नियमों से परे जाकर अपीलान्ट के अज्ञानता व उससे तथ्य छुपाकर यह नामा0 खोला है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 6.12.2019 को हुई है। दिनांक 9.12.19 नामा0 की नकल प्राप्त की जाकर अपील अन्दर मयाद पेश की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा दोराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। क्योकि अपीलान्ट एवं रेस्पो. के मध्य राजस्व लोक अदालत के दौरान आदेश जैर अपील मे अंकित भूमि का सहमति से बटवारा हुआ था तथा बटवारा आदेश के आधार पर ही आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 140 दिनांक 17.6.2015 वाके ग्राम बहनोली तहसील बौंली दर्ज फैसल किया गया है। यदि अपीलान्ट को उक्त सहमति बटवारे मे कम भूमि प्राप्त हुई है तो उसने सहमति बाबत बटवारा पर हस्ताक्षर क्यो किये है, यह तर्क भी दिया कि उक्त नामा0 संख्या 140 का मुख्य आधार पक्षकारान के मध्य सहमति से हुए बटवारा आदेश है। यदि अपीलान्ट को उक्त सहमति के बटवारे से आपत्ति है तो उक्त सहमति बटवारे को सक्षम न्यायालय मे चुनौती देना चाहिए। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट एवं रेस्पो. के मध्य राजस्व लोक अदालत के दौरान हुए सहमति बटवारा के आधार पर आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 140 दिनांक 17.6.2015 वाके ग्राम बहनोली तहसील बौंली दर्ज फैसल किया गया है। अपीलन्ट द्वारा उक्त नामा0 में कम भूमि मिलने की पुष्टि आदेश जैर अपील के अवलोकन से हो जाती है किन्तु उक्त नामा0 अपीलान्ट एवं रेस्पो. के मध्य हुए सहमति बटवारा आदेश की पालना मे दर्ज फैसल किया गया है ओर जब तक उक्त सहमति बटवारा सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता है तब तक आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 140 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 140 मे कोई भी विधिक त्रुटि प्रतीत नही होने के कारण निरस्त किया जाना न्याय संगत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.3.2020 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2020.03.30 18:06:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: